

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री
छोटे लाल द्विवेदी



पैरोकार का० श्यामू
साहनी

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिह्नित अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपहरण करने के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 04 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने की सूचना पर दिनांक 14.12.2020 को समय 12.30 बजे थाना संग्रामपुर पर मु०अ०सं० 457/2020 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 20.09.2025 को माननीय न्यायालय एसजे-12 पाक्सो कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण को **04 वर्ष का साधारण कारावास तथा 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ☐ अभियुक्त को 04 वर्ष का साधारण कारावास।
- ☐ अभियुक्त को 5,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह कठोर कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ राहुल शुक्ला उर्फ विनोद पुत्र गणेश शुक्ला निवासी पूरे शिव बक्श दूबे का पूरवा मजरे जलामा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी